//परिपत्र//

पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/विधि--अनुभाग/10--11/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि--अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2011

**समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर,**
**समस्त असिस्टेंट कमिश्नर,वाणिज्य कर**
**समस्त वाणिज्य कर अधिकारी**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम--2005 की धारा--2 (40) के खण्ड (च) के अनुसार **"सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति वह कोई भी क्यों न हो, से माल का, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय हो (चाहे मादक हो या नहीं), सम्मरण, जहां ऐसा सम्मरण या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो, "को "विकय" की श्रेणी में रखा गया है।** इस संदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय आवासीय स्कूल/कालेज/संस्थानों द्वारा छात्रावास की सुविधा के रूप में आवास उपलब्ध कराने के साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है तथा आवासीय सुविधा एवं भोजन का मूल्य छात्रों से वसूल किया जाता है।

उक्त प्रकार के मामलों में रहने व खाने का मूल्य अविभाजित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खाने के मूल्य का विनिश्चय करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी इकाइयों के कर निर्धारण में एक रूपता नहीं रह पाती है।

उक्त स्थितियों पर सम्यक् विचारोंपरान्त उत्तराखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के नियम 4(2) के अन्तर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे स्कूलों/कालेजों/संस्थाओ, जहॉ छात्रावास की सुविधा व भोजन का मूल्य सम्मिलित रूप से वसूल किया जाता है, उन इकाईयों के कर--निर्धारण के समय भोजन का मूल्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगा :--

**"ऐसे स्कूल/कालेज/संस्थान जहॉ रहने व खाने का शुल्क सम्मिलित रूप से चार्ज किया जाता है तथा समान्य तौर पर खाने का मूल्य अलग से निर्धारित किया जाना सम्भव नही है, के मामलों में छात्रावास की सुविधा व भोजन शुल्क के रूप में वसूल की गई कुल धनराशि का 30 प्रतिशत भाग "भोजन" की बिक्री के रूप में माना जाऐगा। इस 30 प्रतिशत से प्राप्त धनराशि का 5 प्रतिशत भाग करमुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थो की धनराशि मानी जायेगी।"**

यदि उक्त प्रकार की श्रेणी में आने वाले किसी ब्यौहारी द्वारा यह दावा किया जाता है कि उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया पका भोजन एवं पेय उपरोक्त निर्धारित 30 प्रतिशत से कम है तो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में वांछित प्रमाण सहित अपना दावा करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कर--निर्धारण अधिकारी अपनी आख्या सहित आयुक्त कर को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे। अनुमोदन प्राप्त होने पर तदानुसार कर--निर्धारण किया जायेगा।

**(राधा रतूड़ी)**
आयुक्त कर,
उत्तराखंड।

पृ0प0सं0 6286/ दिनॉक उक्त।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1.प्रमुख सचिव,वित उत्तराखंड शासन देहरादून।

2.महालेखाकार,उत्तराखंड वैभव पैलेस इन्द्रानगर,देहरादून।

3.एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन,रूद्रपुर।

4.एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।

**5.समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

6.ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।

7.ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर।

8.वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

9.श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखंड वाणिज्य कर सेवा संघ वाणिज्य कर कार्यालय रूड़की।

**10.संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।**

11.इन्टावैट ईन्फो प्रा0लि04, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।

12.नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।

13.नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

14. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0कार्य0)वाणिज्य कर,नैनीताल।

15.स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002

16.अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून ।

17.दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आढ़त बाजार देहरादून।

18.प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसों0 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।

19.कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

20.विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

21.शोध–अनुभाग मुख्यालय हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।